श्री अग्रसेन कन्या पी0 जी0 कालेज

बुलानाला/परमानन्दपुर,वाराणसी

प्रशासनिक नियमावली

Scanned with CamScanner

-ATC 135 ...बर 202

प्रस्तावना

उत्तरवाहिनी गंगा के वक्ष से प्रवाहित अमृत की रसधार पान कर काशी, सभ्यता के उद्गम काल से ही विश्व को अपने धर्म, दर्शन, संस्कृति, साहित्य तथा आध्यात्मिक आलोक से आलोकित करती रही है । गौतमबुद्ध, शंकराचार्य, स्वामी रामानन्द, स्वामी वल्लभाचार्य की कर्मस्थली काशी, चिरकाल से ज्ञानपीठ रही है । इसकी ज्ञान-ज्योति ने सम्पूर्ण आर्यावर्त का मार्ग समय-समय पर प्रशस्त किया है । काशी की उर्वरा भूमि में प्रस्फुटित होकर हिन्दी साहित्य के नक्षत्रों कबीर, तुलसी, रैदास, भारतेन्दु, प्रेमचन्द, जयशंकर प्रसाद, रामचन्द्र शुक्ल इत्यादि ने सर्वत्र ज्ञान का प्रकाश फैलाया ।

ज्ञान की परम्परा के वर्तमान वाहक के रूप में श्री अग्रसेन कन्या स्वायत्तशासी पी.जी. कॉलेज विगत 32 वर्षों से नारी शिक्षा का अन्यतम् पर्याय बन चुका है । काशी की हृदयस्थली में बालिकाओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से 'श्री काशी अग्रवाल समाज, वाराणसी' ने सन् 1973 में मात्र 12 छात्राओं, चार विषयों और छः कमरों से जिस ज्ञान बीज का रोपण किया था, वह पुष्पित-पल्लवित होकर आज एक विशाल ज्ञान-वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका है । महाविद्यालय को सत्र 2001-02 से प्रदेश का प्रथम तथा एकमात्र महिला स्वायत्तशासी महाविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है ।

वर्तमान में महाविद्यालय दो परिसर (बुलानाला एवं परमानन्दपुर), पाँच संकायों तथा आठ स्नातकोत्तर विषयों से युक्त प्रदेश का एकमात्र महिला स्वायत्तशासी पी. जी. कॉलेज के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका है। डॉ. कृष्णा निगम के दृढ़ संकल्प, दूरदृष्टि तथा कुशल नेतृत्व में महाविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय के स्वप्न को साकार करने में सतत् प्रयासरत् है।

Scanned with CamScanner

महाविद्यालय के लक्ष्य एवं उद्देश्य

- सभी वर्ग, समुदाय, धर्म, जाति, प्रजाति एवं भौगोलिक सीमाओं के परे जाकर सम्पूर्ण नारी जाति के सर्वांगीण विकास हेतु उच्च शिक्षा प्रदान करना।
- वर्तमान समाज एवं आधुनिक राष्ट्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी हेतु नारी शिक्षा में नवीन विषयों एवं तकनीकी शिक्षा के माध्यम से नये आयाम प्रदान करना।
- महिलाओं में रोजगार के प्रति जागरुकता तथा स्वउद्यमिता के प्रति चेतना जागृत कर भूमण्डलीकरण की चुनौतियों का सामना करने हेतु तैयार करना।
- समाज के दूरस्थ, वंचित एवं कमजोर समुदायों को सामुदायिक सेवा के माध्यम से आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भर बनने हेतु प्रेरित करना।
- भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीयता का संरक्षण व संवर्द्धन।
- छात्राओं में उच्च शिक्षा के माध्यम से आत्मविश्वास एवं आत्म निर्भरता का संचार करना।
- छा: को शिक्षा द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों तथा कर्त्तव्यों के प्रति सचेत करना।
- छात्राओं के समग्र व्यक्तित्व का विकास एवं संवर्द्धन।
- छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास एवं इसके माध्यम से सामाजिक समस्याओं, कुरीतियों तथा अंधविश्वासों का उन्मूलन।
- शिक्षण विधि में नवाचार, उन्नतशिक्षा प्रणाली, सतत् मूल्यांकन, छात्राओं की सघन सहभागिता तथा शोध द्वारा महिला शिक्षा में गुणात्मक स्तरोन्नयन।
- अनौपचारिक शिक्षा, प्रसार कार्यक्रमों तथा अध्ययन के दौरान जन सहभागिता कार्यक्रम चलाकर समाज के विकास में सक्रिय योगदान करना।
- संस्थान के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समय-समय पर सभी आवश्यक कार्य सम्पादित करना।

Scanned with CamScanner

अध्याय – 1

प्रारम्भिक

1.01 यह प्रशासनिक नियमावली श्री अग्रसेन कन्या स्वायत्तशासी पी. जी. कॉलेज, वाराणसी प्रशासनिक नियमावली 2004 कही जायेगी।

1.02 यह दिनाङ्क 1 जुलाई, 2004 से प्रवृत्त होगी।

1.03 महाविद्यालय के ऐसे सभी विद्यमान नियम और परिनियम, जो इस प्रशासनिक निमावली से असंगत हों, तत्काल प्रभावहीन हो जायेंगे।

1.04 इस प्रशासनिक नियमावली में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) 'अध्याय' का तात्पर्य 'श्री अग्रसेन कन्या स्वायत्तशासी पी. जी. कॉलेज, वाराणसी' के प्रशासनिक नियमावली से है।

(ख) 'महाविद्यालय' अथवा 'संस्था' का तात्पर्य 'श्री अग्रसेन कन्या स्वायत्तशासी पी. जी. कॉलेज, वाराणसी' से है।

(ग) यह विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 28.01.2004 में स्वीकृत है।

1.05 संस्था के हित में प्रशासनिक नियमावली-2004 में उल्लिखित नियमों में संशोधन, संवर्द्धन व निरस्त करने का सर्वाधिकार प्राचार्या को होगा, जिसका अनुमोदन महाविद्यालय की प्राधिकृत समिति/बोर्ड द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

1.06 संस्था के हित में नियम संख्या-1.05 के सन्दर्भ में नियमों में किया गया परिवर्तन प्राधिकृत समिति/बोर्ड द्वारा स्वीकृत किये जाने तक उसी स्वरूप में पूर्ण रूप से विधिसम्मत और मान्य किया जायेगा।

❖❖❖

Scanned with CamScanner

अध्याय – 2

स्वायत्तशासी महाविद्यालय संचालन हेतु समितियाँ

शासी निकाय (Governing Body) :

2.01 शासी निकाय स्वायत्तशासी महाविद्यालय के संचालन हेतु नियमानुसार सर्वोच्च संचालन समिति होगी ।

2.02 इस समिति में कुल 12 सदस्य होंगे, जिनका गठन निम्नवत होगा—

2.03 महाविद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष शासी निकाय का अध्यक्ष होगा एवं प्रबंध समिति के अन्य 4 सदस्यों को सदस्य के रूप में नामित करेगा ।

2.04 वरिष्ठता क्रम के आधार पर अध्यापकों में से दो सदस्य इस समिति हेतु प्राचार्या द्वारा नामित किये जायेंगे ।

2.05 उद्योग अथवा शिक्षा क्षेत्र से जुड़े किसी एक व्यक्ति को प्रबंध समिति द्वारा सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा ।

2.06 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक सदस्य नामित किया जायेगा ।

2.07 राज्य सरकार द्वारा एक सदस्य नामित किया जायेगा जो प्रोफेसर स्तर का शिक्षाविद् हो, प्रोफेसर अथवा उच्च शिक्षा निदेशालय/राज्य उच्च शिक्षा परिषद् का सदस्य या अधिकारी हो ।

2.08 विश्वविद्यालय द्वारा एक सदस्य नामित किया जायेगा ।

2.09 महाविद्यालय की प्राचार्या शासी निकाय की पदेन सदस्य सचिव होंगी ।

2.10 **कार्यकाल**—विश्वविद्यालय द्वारा नामित सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा एवं अन्य सभी सदस्यों का कार्यकाल केवल 2 वर्ष का होगा ।

2.11 **बैठक**—प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार ।

2.12 **दायित्व**—

(क) वित्त समिति के अनुमोदन पर छात्राओं से ली जाने वाली शुल्क एवं अन्य अधिभारों का निर्धारण करना ।

(ख) विद्या परिषद् के अनुमोदन पर छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति, पदक, पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्रों की स्थापना करना ।

(ग) संस्था द्वारा प्रतिस्थापित डिग्री तथा/अथवा डिप्लोमा के नवीन पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करना ।

(घ) संस्था को जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्वायतशासी स्वरूप प्रदान किया गया, उनके समुचित विकास एवं परिपूरण हेतु उचित कार्यों का निष्पादन एवं समितियों का गठन करना ।

Scanned with CamScanner

विद्या परिषद् (Academic Counsil) :

2.13 प्राचार्या (अध्यक्ष) ।

2.14 महाविद्यालय के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष ।

2.15 महाविद्यालय के विभिन्न श्रेणियों के चार शिक्षक वरिष्ठता क्रम में चक्रण के आधार पर ।

2.16 शासी निकाय द्वारा नामित न्यूनतम 4 विशेषज्ञ जो उद्योग, वाणिज्य, विधि, शिक्षा, चिकित्सा, अभियांत्रिकी आदि क्षेत्रों से सम्बन्धित हो ।

2.17 विश्वविद्यालय द्वारा नामित तीन सदस्य ।

2.18 महाविद्यालय के किसी शिक्षक को सदस्य सचिव के रूप में प्राचार्या द्वारा नामित किया जायेगा ।

2.19 **कार्यकाल**—सभी नामित सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा ।

2.20 **बैठक**—विद्या परिषद् की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार आहूत की जायेगी ।

2.21 **दायित्व**—

(क) पाठ्यक्रमों (Courses of Study, Curricula, Syllabi), शैक्षणिक विनियमों, शिक्षण तथा मूल्यांकन प्रबंधों तथा इससे सम्बन्धित विधियों, प्रक्रियाओं से सम्बन्धित अध्ययन बोर्ड की अनुशंसाओं की सूक्ष्म परीक्षा (Scrutiny), संशोधन अथवा बिना संशोधन की संस्तुति करना ।

(ख) यदि विद्या परिषद्, अध्ययन बोर्ड के किसी प्रस्ताव से असहमत होता है तो उसे पुनर्विचार हेतु अध्ययन बोर्ड को वापस भेजने का अधिकार होगा अथवा कारण स्पष्ट करते हुए संदर्भित प्रस्तावों को निरस्त करने का अधिकार होगा ।

(ग) महाविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक अध्ययन कार्यक्रमों में प्रवेश सम्बन्धी विनियम बनाना ।

(घ) खेलकूद, शिक्षणेत्तर गतिविधियों तथा छात्रावासों एवं खेल के मैदानों के उचित रख-रखाव एवं सुचारु कार्य सम्पादन हेतु विनियम बनाना ।

(ङ) शिक्षा सम्बन्धी नवीन शैक्षणिक कार्यक्रमों के सम्बन्ध में शासी निकाय (Governing body) के प्रस्तावों का अनुमोदन करना ।

Scanned with CamScanner

(च) शासी निकाय द्वारा स्थापित (Scholarship), अध्ययनवृत्ति (Studentship), अध्येतावृत्ति (Fellowship), पुरस्कार एवं पदकों का अनुमोदन करना एवं उन्हें प्रदान करने हेतु विनियम बनाना ।

(छ) शैक्षणिक गतिविधियों में विद्या परिषद् द्वारा दिये गये सुझावों के लिए शासी निकाय को परामर्श (advice) प्रेषित करना ।

(ज) शासी निकाय द्वारा निरुपित किये गये अन्य दायित्वों का सम्पादन करना ।

अध्ययन बोर्ड (Board of Studies) :

2.22 सम्बन्धित विभाग का विभागाध्यक्ष अध्यक्ष होगा ।

2.23 विभाग के विशिष्ट शाखाओं के विशेषज्ञों के प्रतिनिधि ।

2.24 विद्या परिषद् द्वारा नामित महाविद्यालय के अतिरिक्त सम्बन्धित विषय के दो बाह्य विशेषज्ञ ।

2.25 महाविद्यालय की प्राचार्या द्वारा अनुशंसित 6 विशेषज्ञों की सूची में से कुलपति द्वारा नामित एक सदस्य ।

2.26 उद्योग/कारपोरेट सेन्टर/रोजगार सम्बन्धी अन्य क्षेत्रों से एक नामित सदस्य ।

2.27 प्राचार्या द्वारा नामित एक पुरातन मेधावी परास्नातक छात्रा ।

2.28 प्राचार्या के अनुमोदन से अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष निम्न अन्य सदस्यों को सम्मिलित कर सकेगा—

(क) विशेष पाठ्यक्रमों के निर्माण हेतु बाह्य विशेषज्ञ ।

(ख) विभाग के अन्य शिक्षक ।

2.29 **कार्यकाल**—नामित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा ।

2.30 **बैठक**—महाविद्यालय की प्राचार्या द्वारा विभिन्न विभागों के अध्ययन बोर्डों की बैठक की तिथि निर्धारित की जायेगी । बैठक आवश्यकतानुसार अथवा वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी ।

2.31 **दायित्व**—

(क) विद्या परिषद् के विचार एवं अनुमोदन हेतु महाविद्यालय के उद्देश्यों, स्थानीय एवं राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न पाठ्यक्रमों को तैयार करना ।

(ख) नवीन अध्ययन पद्धति तथा मूल्यांकन तकनीकों हेतु विधियों का सुझाव देना ।

Scanned with CamScanner

(ग) परीक्षकों की नियुक्ति हेतु परीक्षकों के नामों की सूची विद्या परिषद् को नियुक्ति हेतु सन्दर्भित करना ।

(घ) महाविद्यालय/विभाग के अन्य शैक्षणिक गतिविधियों, अध्यापन, शोध प्रसार सम्बन्धी गतिविधियों का समन्वय करना ।

वित्त समिति (Finance Committee) :

2.32 प्राचार्या (अध्यक्ष) ।

2.33 महाविद्यालय के शासी निकाय द्वारा 2 वर्ष हेतु नामित एक सदस्य ।

2.34 वरिष्ठता क्रम में चक्रण से प्राचार्या द्वारा दो वर्ष हेतु नामित एक शिक्षक सदस्य ।

2.35 **कार्यकाल**—कार्यकाल 2 वर्ष का होगा ।

2.36 **बैठक**—वर्ष में न्यूनतम दो बार बैठक आयोजित की जायेगी ।

2.37 **दायित्व**—

(क) वित्त समिति का स्वरूप, शासी निकाय की सलाहकार समिति का होगा ।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्राप्त/प्राप्ति योग्य अनुदानों से सम्बन्धित तथा स्वायत्तशासी योजना के कार्य सम्पादन हेतु शुल्क तथा अन्य मदों से प्राप्त आय का बजट अनुमानित करना ।

(ग) उपरोक्त का लेखा सम्परीक्षा करना ।

❖❖❖

Scanned with CamScanner

अध्याय – 3

स्वायत्तशासी महाविद्यालय के अधिकारी एवं अन्य कार्य निर्वाहक

प्राचार्या

3.01 प्राचार्या महाविद्यालय के अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान, वित्त, प्रशासन की पूर्णकालिक अधिकारी होंगी।

3.02 विद्या परिषद् एवं वित्त समिति की पदेन अध्यक्ष एवं शासी निकाय की पदेन सदस्य सचिव होंगी।

3.03 महाविद्यालय के समस्त अधिकारीगण, अध्यापकगण, पुस्तकालय, परीक्षक, अन्तरीक्षक एवं समस्त कर्मचारीगण पर अनुशासनिक नियंत्रण होगा।

3.04 महाविद्यालय की समस्त प्रशासनिक, शैक्षणिक व सहगामी समितियों की पदेन अध्यक्ष होंगी।

3.05 महाविद्यालय के विभिन्न प्रशासनिक पदाधिकारियों को नियुक्त करने तथा अधिकारों का निलम्बन/अधिकारों से वंचित करने अथवा पदच्युत करने का सर्वाधिकार प्राचार्या को होगा।

3.06 अंशकालिक शिक्षकों/कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार होगा।

3.07 महाविद्यालय हित में नियमों में संशोधन, संवर्द्धन व निरस्तीकरण का अधिकार प्राचार्या में निहित (1.05 एवं 1.06) होगा।

3.08 इस नियमावली में जिन विषयों का उल्लेख नहीं किया गया है उनसे संबंधित नियम/उपनियम बनाने तथा किसी आकस्मिक परिस्थिति में नियमावली की मूल-भावना के अनुरूप निर्णय लेने या कार्यवाही के आकस्मिक अधिकार प्राचार्या में निहित है। प्राचार्या का निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा।

संकायों के संकायाध्यक्ष

3.09 विभिन्न संकायों के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति स्वायत्तशासी महाविद्यालय की प्राचार्या द्वारा संकाय के वरिष्ठतम् प्राध्यापक की दो वर्ष हेतु की जायेगी। विशेष परिस्थिति में वरिष्ठता क्रम के इतर नियुक्ति की जा सकती है।

3.10 संकायाध्यक्ष, संकाय बोर्ड के समस्त अधिवेशनों का सभापतित्व करेगा।

3.11 संकाय की आवश्यकताओं एवं सूचनाओं को प्राचार्या की जानकारी में प्रस्तुत करेगा।

3.12 संकाय के समस्त विभागाध्यक्षों की समय-समय पर बैठक बुलाकर शैक्षणिक, अनुशासनिक गतिविधियों व पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा अन्य परिसम्पत्तियों की उचित अभिरक्षा एवं अनुरक्षण की समीक्षा करेगा।

3.13 संकाय से सम्बन्धित अध्ययन बोर्डों के किसी अधिवेशन में प्रस्तावित पाठ्यक्रम परिवर्तन/परिवर्द्धन की संस्तुति विद्या परिषद् को देगा।

Scanned with CamScanner

छात्रा कल्याण अधिष्ठाता

3.14 संस्था के किसी वरिष्ठ प्राध्यापक जिसे कम से कम दस वर्ष का अध्यापन अनुभव हो, की नियुक्ति प्राचार्या द्वारा दो वर्षों के लिए छात्रा कल्याण अधिष्ठिाता के रूप में जा सकती है।

3.15 छात्रा कल्याण अधिष्ठाना का यह कर्त्तव्य होगा कि वह छात्राओं को ऐसे मामलों में जिनमें सहायता तथा मार्ग दर्शन अपेक्षित है, सहायता प्रदान करेंगे।

3.16 वह वर्तमान तथा भावी छात्राओं को—

(क) महाविद्यालय तथा उसके पाठ्यक्रमों में प्रवेश।

(ख) निवास स्थान ढूँढ़ने।

(ग) चिकित्सीय सलाह तथा सहायता।

(घ) छात्रवृत्ति।

(ङ) अन्य आर्थिक सहायता।

(च) अवकाश के दिनों तथा शैक्षणिक यात्राओं के लिए यात्रा सुविधा प्रदान करना।

(छ) अग्रतर अध्ययन।

(ज) महाविद्यालय की परम्पराओं की जानकारी, सहायता और सलाह प्रदान करना।

3.17 छात्रा कल्याण अधिष्ठाता आवश्यकतानुसार किसी छात्रा के संरक्षक से सम्पर्क कर सकेंगी।

3.18 छात्रा कल्याण अधिष्ठाता की सहायता हेतु उनकी सलाह से प्राचार्या सहायक अधिष्ठाताओं की उचित सख्या में दो वर्षों हेतु नियुक्त कर सकेंगी।

3.19 सहायक अधिष्ठाताओं के कार्यों का आवंटन छात्रा कल्याण अधिष्ठाता द्वारा किया जायेगा।

3.20 छात्रा कल्याण अधिष्ठाता एवं सहायक छात्रा कल्याण अधिष्ठाताओं को महाविद्यालय की निधियों से प्राचार्या के अनुमोदन पर मानदेय नियत किया जा सकेगा।

अधिष्ठाता-शैक्षणिक

3.21 स्वायत्तशासी महाविद्यालय के वरिष्ठ प्रवक्ता जिनकी सेवा अवधि कम से कम पाँच वर्ष की हो, को प्राचार्या द्वारा अधिष्ठाता, शैक्षणिक के पद पर दो वर्ष हेतु नियुक्त किया जा सकेगा।

Scanned with CamScanner

3.22 प्राचार्या के निर्देशानुसार अध्ययन परिषद् की बैठक आहूत करेगा।

3.23 महाविद्यालय के शैक्षिक उन्नयन हेतु विभिन्न संकायों से सम्बन्धित विशेषज्ञ व्याख्यान, संगोष्ठी, प्रदर्शनी, कार्यशाला अधिवेशन तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजनों को सुनिश्चित करने में सहायता करेगा।

3.24 महाविद्यालय की शैक्षिक योजनाओं के निर्माण एवं कार्यान्वयन हेतु प्रयास करेगा।

3.25 समस्त शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर क्रियाकलापों का लेखा-जोखा रखेगा तथा उनका वार्षिक प्रतिवेदन प्राचार्या को प्रस्तुत करेगा।

3.26 प्राचार्या के अनुमोदन पर महाविद्यालय निधि से मानदेय देय होगा।

अधिष्ठाता प्रशासन

3.27 महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक, जिन्हें कम से कम पाँच वर्ष का अध्यापन अनुभव हो, प्राचार्या द्वारा दो वर्ष हेतु नियुक्त किया जा सकेगा।

3.28 महाविद्यालय के सामान्य प्रशासन के सुचारु संचालन में प्राचार्या का सहयोग करना।

3.29 महाविद्यालय की समस्त गतिविधियों, सिवाय परीक्षा के, अवकाशों व सूचनाओं के सम्प्रेषण में प्राचार्या का सहयोग करना।

3.30 छात्राओं एवं महाविद्यालय प्रशासन के मध्य समन्वय स्थापित करना।

3.31 शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की शैक्षिक/सामान्य गतिविधियों की व अवकाश इत्यादि का लेखा-जोखा रखना।

3.32 सहायक अधिष्ठाता प्रशासन की नियुक्ति प्राचार्या द्वारा दो वर्ष हेतु अधिष्ठाता प्रशासन की सलाह पर की जायेगी, जों अधिष्ठाता प्रशासन को सहयोग करेगा।

3.33 अधिष्ठाता एवं सहायक अधिष्ठाता प्रशासन को महाविद्यालय निधि से प्राचार्या के अनुमोदन पर मानदेय देय होगा।

परीक्षा नियंत्रक

3.34 महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक जिन्हें कम से कम 10 वर्ष का अध्यापन अनुभव हो, प्राचार्या द्वारा तीन वर्ष हेतु परीक्षा नियंत्रक के पद पर नियुक्त किया जायेगा।

3.35 महाविद्यालय द्वारा संचालित समस्त परीक्षाओं में प्राचार्या/मुख्य नियंत्रक, परीक्षा को सहयोग करना।

Scanned with CamScanner

3.36 समस्त परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन, सारणीयन, परितुलन एवं परीक्षा परिणाम घोषित करने का उत्तरदायित्व होगा।

3.37 समय-समय पर परीक्षा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

3.38 परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा।

3.39 परीक्षा के सुगम संचालन के लिए परीक्षा नियंत्रक के सहायोग से उपनियंत्रक, परीक्षा की वांछित संख्या में नियुक्ति प्राचार्या द्वारा की जायेगी।

3.40 प्राचार्या के अनुमोदन पर परीक्षा नियंत्रक/उपनियंत्रकों को महाविद्यालय निधि से मानदेय देय होगा।

चीफ प्रॉक्टर

3.41 चीफ प्रॉक्टर का चयन, महाविद्यालय के शिक्षकों में से जिन्हें कम से कम पाँच वर्ष का अध्यापन अनुभव हो, प्राचार्या द्वारा दो वर्ष के लिए नियुक्त किया जा सकेगा।

3.42 चीफ प्रॉक्टर महाविद्यालय की छात्राओं के सम्बन्ध में अनुशासनिक प्राधिकार का प्रयोग करने, अनुशासन के सम्बन्ध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन भी करेगा, जिन्हें प्राचार्या द्वारा प्रदान किया जायेगा।

3.43 चीफ प्रॉक्टर की सहायता के लिए उसके परामर्श पर प्राचार्या द्वारा उचित संख्या में प्रॉक्टर की नियुक्ति की जा सकेगी।

3.44 चीफ प्रॉक्टर की एवं अन्य प्रॉक्टर को महाविद्यालय की निधियों से मानदेय देय होगा, जिसका निर्धारण प्राचार्या द्वारा किया जायेगा।

विभागाध्यक्ष

3.45 महाविद्यालय में प्रत्येक विभाग का वरिष्ठतम शिक्षक उस विभाग का अध्यक्ष होगा।

3.46 विशेष परिस्थितियों में प्राचार्या स्वविवेकानुसार विभाग के किसी अन्य शिक्षक को भी विभागाध्यक्ष का दायित्व सौंप सकती हैं।

3.47 प्रत्येक विभागाध्यक्ष अपने विभाग में प्रशासनिक एवं शैक्षणिक कार्यों के सुचारु संचालन हेतु पूर्णतया उत्तरदायी होगा।

3.48 पाठ्यक्रम को अद्यतन करने हेतु अध्ययन बोर्ड का संयोजन करेगा।

3.49 विभागीय शोध समिति की अध्यक्षता करेगा ।

Scanned with CamScanner

महाविद्यालय की अन्य समितियाँ/बोर्ड

छात्रा कल्याण बोर्ड

3.50 प्राचार्या (अध्यक्ष) ।

3.51 सचिव, छात्र कल्याण अधिष्ठाता (पदेन) ।

3.52 प्राचार्या द्वारा छात्रा कल्याण अधिष्ठाता के सहयोग से उचित संख्या में सह अधिष्ठाता, छात्रा कल्याण की नियुक्ति 2 वर्षों हेतु किया जायेगा ।

3.53 प्राचार्या द्वारा प्रत्येक संकाय से नामित एक-एक छात्रा प्रतिनिधि एक वर्ष हेतु ।

3.54 **कार्यकाल**—दो वर्ष का होगा ।

3.55 **बैठक**—वर्ष में न्यूनतम चार बार आयोजित की जायेगी ।

3.56 **दायित्व**—छात्रा कल्याण अधिष्ठाता (3.14 से 3.20) में निहित कार्यों का संपादन एवं संचालन करना ।

परीक्षा समिति

3.57 प्राचार्या, अध्यक्ष एवं मुख्य परीक्षा नियंत्रक ।

3.58 सचिव, परीक्षा नियंत्रक (पदेन) ।

3.59 समस्त संकायाध्यक्ष, समस्त उपनियंत्रक परीक्षा सदस्य होंगे ।

3.60 प्रभारी परीक्षा गोपनीय एवं सामान्य तथा लेखाधिकारी सदस्य होंगे ।

3.61 महाविद्यालय के दो प्रवक्ता प्राचार्या द्वारा नामित किये जायेंगे ।

3.62 **कार्यकाल**—परीक्षा समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा ।

3.63 **बैठक**--प्रत्येक वर्ष में कम से कम चार बार ।

3.64 **दायित्व**—

(क) महाविद्यालय की समस्त परीक्षाओं का सफल एवं सुचारु संचालन करना ।

(ख) परीक्षा समिति किसी परीक्षार्थी को किसी भावी परीक्षा या परीक्षाओं में एक वर्ष या अधिक के लिए बैठने से वंचित कर सकती है, यदि समिति की राय में ऐसा परीक्षार्थी महाविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा में दुर्व्यवहार या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का दोषी हो ।

Scanned with CamScanner

नियोजन एवं मूल्यांकन समिति

3.65 अध्यक्ष (प्राचार्या) ।

3.66 सचिव, अधिष्ठाता शैक्षणिक (पदेन) ।

3.67 समस्त संकायाध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक, उपनियंत्रक परीक्षा, मुख्य नियंता, समस्त विभागाध्यक्ष सदस्य होंगे ।

3.68 महाविद्यालय के दो प्रवक्ता प्राचार्या द्वारा नामित किये जायेंगे ।

3.69 **कार्यकाल**—नियोजन एवं मूल्यांकन समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा ।

3.70 **बैठक**—वर्ष में कम से कम दो बार ।

3.71 **दायित्व**—

(क) महाविद्यालय के शैक्षिक उन्नयन हेतु सुझाव देना/योजना बनाना ।

(ख) शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के व्यापक हित में योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन करना ।

(ग) छात्राओं के व्यापक हित में शैक्षिक उन्नयन, अनुशासन एवं परीक्षा व्यवस्था हेतु विभिन्न योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जाना ।

(घ) महाविद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर क्रियाकलापों का मूल्यांकन एवं समीक्षा कर भावी योजनाओं का निर्माण करना ।

टिप्पणी—प्राचार्या द्वारा महाविद्यालय के व्यापक हित में समायानुसार अन्य विभिन्न समितियों का गठन उचित दायित्वों के निर्वहन हेतु किया जायेगा ।

Scanned with CamScanner

कुलगीत

यह अग्रसेन कन्या पी०जी० कॉलेज सरस्वती मंदिर,
व्योम मुस्कुरा उठा किरण पा, नई प्रभा का नया-नया स्वर।
है ध्येय अभ्युदय नारी का, संकल्प हमारा श्रेयस्कर,
जन मन का मन भावन पावन, विद्या का यह आलय मनहर।
नई प्रभा का नया-नया स्वर।।

कीर्ति धवल ऋषि अग्रसेन की, अभिनव यह आकाशदीप,
शिक्षा के अनुपम विकास के, शांति दूत जीवन्त प्रदीप।
आओ शुभ संकल्प करें हम, परहित रहें सतत् हो तत्पर,
आत्मज्ञान कर्मठता हो नित, माथे पर चमके श्रम सीकर।
नई प्रभा का नया-नया स्वर।।

सदियों-सदियों से काशी में, संस्कृति की बही धवल धारा,
आध्यात्मक विविध कला विज्ञान, हम ही थे अनुपम ध्रुवतारा।
आज नये युग के हम प्रहरी हैं, मेधा-मुदिता-नम्रता-प्रवर,
वसुन्धरा का आँचल भर दें, लाकर सुगन्ध के सुमन मंदिर।
नई प्रभा का नया-नया स्वर।।

निर्मल गंगा सी है नारी, नवयुग की गीता, गायत्री,
मातृत्व विभूषित, दुर्गा सी, शक्तिमती है जीवनधात्री।
नई प्रगति दें हम विकास को, दें नव प्रभात को नई लहर,
मानवता के मानदण्ड, उदात्त विचारों के सहचर।
नई प्रभा का नया-नया स्वर।।

इतिहास हमारा साक्षी है, हम मानव शुचिता के हैं त्राता,
अपने पैरों हम चलते हैं, हम हैं अपने भाग्य विधाता।
नारी शिक्षा के दीप जलें, गली गली में, हर आँगन घर,
शिक्षा का नव निनाद गूँजे, हो ज्ञान-ज्योति चेतना मुखर।
नई प्रभा का नया-नया स्वर।।

एकता, समन्वय, समरसता, साहस विवेक का हो जीवन,
समता मूलक सुन्दर समाज, तुलसी सा मन, चंदन सा तन।
वन्दे मातरम् स्वर गूँजे, स्वर्ग उतारें इस धरती पर,
जीवट के हम भारतवासी, है उन्नत ललाट ऊँचा सर।
नई प्रभा का नया-नया स्वर।।

देश प्रेम का ज्वार न कम हो, स्वदेश का कीर्तिकेतु लहरें,
अज्ञान कुहासा मिटे, बढ़ें हम, सम्यक् शिक्षा का ध्वज फहरे।
धीरज, सौरज, स्वावलम्बन, हम जागरूक हों, नवनागर,
नई रागिनी, नव स्वर गूँजे, जागे वाणी, अक्षर-अक्षर।
नई प्रभा का नया-नया स्वर।।

—लोकनाथ श्रीवास्तव

Scanned with CamScanner